उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
रिट पिटिशन (एस/बी) सं0 543 सन् 2018

कॅवर अमिन्दर सिंह .....याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं अन्य .....उत्तरदातागण।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह।
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता श्री पारेश त्रिपाठी।

दिनांक : 06 मार्च, 2020

कोरम : माननीय रमेश रंगनाथन, मुख्य न्यायाधीश,
माननीय रवि मलीमठ, जे0,

रमेश रंगनाथन, मुख्य न्यायाधीश (मौखिक)

कुछ समय बहस के पश्चात् याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह ने कथन किया कि निलंबन आदेश की वैधता पर न्यायनिर्णयन करने के बजाये, इस न्यायालय द्वारा जॉच कार्यवाही को एक विनिर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने का आदेश पारित किया जाना पर्याप्त होगा।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह पूछे जाने पर कि जॉच कार्यवाही किस स्तर पर लम्बित है, उनके द्वारा बताया गया कि अभियोजन की ओर से अंतिम गवाह परीक्षित कराया जा चुका है जिसके उपरांत अब याचिकाकर्ता को अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करना है और याचिकाकर्ता को केवल एक गवाह को परीक्षित कराना है, वह जॉच में सहयोग करेगा चाहे यह दैनिक स्तर पर ही क्यों न की जाये और जॉच कार्यवाही को जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाये।

3. याचिकाकर्ता की ओर से तर्क देते समय याची के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिये, यह तर्क विचारयोग्य है। इस न्यायालय के द्वारा जॉच अधिकारी को जॉच कार्यवाही को विनिर्दिष्ट समय सीमा से पूर्ण किये जाने हेतु परमादेश जारी किया जाना अनुचित होगा।

4. ऐसी परिस्थितियों में जॉच अधिकारी (इसी न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश) से यह अनुरोध करना पर्याप्त होगा कि जॉच अधिकारी जांच को शीघ्रता से, प्राथमिकता के आधार पर, इस आदेश की सत्य प्रति प्रस्तुत किये जाने के दो माह के अन्तर्गत जॉच कार्यवाही सम्पादित करें ।

5. यह कहने की आवयकता नहीं है कि याचिकाकर्ता जॉच के जल्दी पूरा होने में सहयोग करेगा और अनावश्यक स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

6. तदनुसार रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है। कोई हर्जे का आदेश नहीं।

(रवि मलीमठ, जज)
06.03.2020

(रमेश रंगनाथन, मुख्य न्यायाधीश)
06.03.2020